Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

38-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 26, 2019 (PHALGUNA 7, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2019

No. 18-HLA of 2019/22/4162.— The Haryana Right to Service (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 18- HLA of 2019.

THE HARYANA RIGHT TO SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Right to Service Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Right to Service (Amendment) Act, 2019.

Amendment of section 15 of Haryana Act 4 of 2014.

2. For sub-section (4) of section 15 of the Haryana Right to Service Act, 2014, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) The salary, allowances and perks of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be such, as admissible to the Chief Secretary to Government, Haryana and the Principal Secretary to Government, Haryana respectively minus pension already drawn for the previous service, if any. No additional pension or death-cum-retirement gratuity shall be admissible for the period of qualifying service in any commission or authority, if the Chief Commissioner or the Commissioner is already a pensioner of any Government.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government has decided that no Chairperson/Member of a State Commission/Authority, whether Constitutional or Statutory should be allowed salary over and above the same admissible to Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana minus pension for the previous service already drawn, if any. All other allowances and perks must also not exceed those of Chief Secretary/Principal Secretary, as the case may be.

No additional person or DCRG shall be admissible for the period of qualifying service in any Commission/Authority if the Chairperson/Member is already a pensioner of any Government.

Where no pension is being drawn by a person before his appointment as Chairperson/Member, he will be entitled to monthly pension of qualifying service which will be regulated under the rules applicable to Chief Secretary/Principal Secretary, as the case may be. If a person while working as a Member is appointed as a Chairman of a Commission, his total qualifying service in the Commission and last pay drawn in the Commission shall be taken into account for the purpose of calculation of pension. As regards DCRG, the same shall also be admissible equal to Chief Secretary or Principal Secretary, as the case may be, on the basis of last pay drawn and length of qualifying service. The condition of minimum five years qualifying service for the purpose of pension and five years for the purpose of DCRG should not be applicable.

All other Constitutional/Statutory Commissions or Authorities of Haryana where the pay, allowances, perks are being drawn over and above those of Chief Secretary/Principal Secretary as the case may be, the same be got revised accordingly whether through a change in Statute or executive instructions, as may be necessary, even if, this requires making a reference to Govt. of India.

At present there is following provision in the Act:-

The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of Service of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be the same as those of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners, respectively as laid down in sub-section (5) of section 16 of the Right to Information Act,2005 (Central Act 22 of 2005).

Accordingly, in order to implement the above decision the Haryana Right to Service (Amendment) Bill, 2019 is being introduced in the State Legislature for approval.

Hence, this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 26th February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 18–एच0एल0ए0

हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 15 की उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2014 का हरियाणा अधिनियम 4 में धारा 15 का संशोधन।

''(4) मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अनुलाभ ऐसे होंगे, जो पूर्व सेवा, यदि कोई हो, के लिए पहले से ली जा रही पेंशन को घटाकर क्रमशः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को अनुज्ञेय हैं। कोई भी अतिरिक्त पेंशन या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान किसी आयोग या प्राधिकरण में अर्हक सेवा की अवधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा, यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी सरकार का पहले से ही पेंशनर है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य आयोग/प्राधिकरण के किसी भी अध्यक्ष/सदस्य चाहे वह सांविधानिक या वैधानिक हो को मुख्य सचिव/प्रधान सचिव हरियाणा सरकार को यथा अनुज्ञेय तथा पूर्व सेवा के लिए प्राप्त की गई पेंशन, यदि कोई हो, को घटाकर से अधिक वेतन की अनुमति नहीं दी जायेगी। अन्य सभी भत्ते और सुविधा भी मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि अध्यक्ष/सदस्य पहले से ही किसी सरकार के पेंशनर हैं, तो किसी भी आयोग/प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए कोई भी अतिरिक्त पेंशन या मृत्यु एंव सेवानिवृत्ति ग्रेचयुटी अनुमत नहीं की जाएगी।

जहां अध्यक्ष/सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले किसी व्यक्ति द्वारा कोई पेंशन नहीं ली जा रही है तो वह अर्हक सेवा की मासिक पेंशन का हकदार होगा जो मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, को लागू नियमों के अधीन विनियमित होगा। यदि सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो आयोग में उसकी कुल अर्हक सेवा और आयोग में प्राप्त किए गए अंतिम वेतन को पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाऐगा। अंतिम वेतन तथा अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेचयुटी के संबंध में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के बराबर की अवधि के समरूप स्वीकार्य होगा। पेंशन और मृत्यु एंव सेवानिवृत्ति ग्रेचयुटी के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की अर्हक सेवा की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा के अन्य सभी सांविधानिक/वैधानिक आयोगों या प्राधिकरणों, जहां वेतन, भत्ते एंव सुविधायें मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक दिये जा रहे हैं उन्हें तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए चाहे उसके लिए कानून या कार्यकारी निंदेश, जैसा भी आवश्यक हो, करने हो, भले ही, इसके लिए भारत सरकार से संदर्भ करने की आवश्यकता हो।

वर्तमान में अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22), की धारा 16 की उप–धारा (5) में क्रमशः राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के लिए अधिकथित हैं।

तदनुसार, उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य विधानसभा में अनुमोदन के लिए पेश किया जा रहा है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56902—H.V.S.—H.G.P., Chd.